AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा। **26.09.2021**

थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा डॉक्टर के घर में हुयी डकैती में वांछित रू0 25,000/– के इनामी अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से रू0 1,40,000/– डकैती के, 01 अवैध तमंचा व 02 चाँदी के सिक्के बरामद...

दिनांक 19.09.2021 को वादी डॉक्टर जसवन्त राय के घर पर 05 अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0 587/21 धारा 395/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में घटना का सफल अनावरण किया गया था एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में की जा रही चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ दिन पूर्व डॉक्टर में घर में हुयी डकैती में वांछित अभियुक्त आमिर जिसने अपने एक साथी जिसको उसने डकैती में लूटे हुए रूपये छिपाने के लिए दिये थे वह रूपये वापस लेने बैनारा फैक्ट्री के पीछे आ रहा है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर छिप गयी। कुछ देर बाद दो व्यक्तियों को देखा जो झाड़ियों में छिपकर बात कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल रू0 1,40,000/– डकैती के, 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 चाँदी के सिक्के, वादी का आधार कार्ड बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0 604/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 01–आमिर व 02–कमालुद्दीन उर्फ शल्लू बताया गया। आमिर द्वारा बताया गया कि मैंने अपने साथियों के साथ डॉक्टर के घर डकैती डाली थी, लूटे गये कुछ रूपयों को मैंने छुपाने के लिए अपने मित्र कमालुद्दीन को दे दिया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त आमिर पर पूर्व में रू0 25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

01. आमिर पुत्र सद्दीक नि0 भगतसिंह की मूर्ती के पास शहीद नगर थाना सदर बाजार आगरा मूल पता ग्राम कालू गाँव थाना ग्वाल पोकोर जनपद उत्तर पश्चिम बंगाल।
02. कमालुद्दीन उर्फ शल्लू पुत्र मौहम्मद राशिद नि0 नाला मण्टोला जनपद आगरा।

➢ बरामदगी का विवरण :-

01. रू0 1,40,000/- डकैती के। अभि
02. 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
03. 02 चाँदी के सिक्के।
04. वादी का आधार कार्ड।

➢ आपराधिक इतिहास :-

- **अभि0 आमिर**

01. मु0अ0सं0 587/21 धारा 395/323/506 भादवि थाना जगदीशपुरा आगरा।
02. मु0अ0सं0 604/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जगदीशपुरा आगरा।

- **अभि0 कमालुद्दीन**

01. मु0अ0सं0 587/21 धारा 395/323/506 भादवि थाना जगदीशपुरा आगर

➢ पुलिस टीम :-

प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय मय टीम थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।